भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4066
25 मार्च, 2025 को उत्तर के लिए

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत राजसहायता

4066. श्रीमती शोभनाबेन महेन्द्रसिंह बारैया:
श्री भोजराज नाग:
श्रीमती रूपकुमारी चौधरी:

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी योजनाओं के अंतर्गत प्रदान की गई वित्तीय सहायता का छोटे और सीमांत मत्स्य किसानों तक प्रभावी रीति से पहुंचना सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(ख) प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) तथा मत्स्यपालन और जलकृषि अवसंरचना विकास निधि जैसी योजनाओं के अंतर्गत पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रदान की गई राजसहायता का मत्स्य किसानों की आय और उत्पादन स्तर पर क्या प्रभाव पड़ा है;

(ग) क्या देश के मत्स्यपालन क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए कोई नई नीतियां बनाई जा रही हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) छत्तीसगढ़ के कांकेर और ब्लोद जिलों में पिछले पांच वर्षों के दौरान 'केज कल्चर' योजना के अंतर्गत कितने लोग लाभान्वित हुए हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री
(श्री जॉर्ज कुरियन)

(क): मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार देश में मात्स्यिकी और जलकृषि के समग्र विकास के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक प्रमुख योजना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) को कार्यान्वित कर रहा है। पीएमएमएसवाई को केन्द्रीय क्षेत्र योजना और केन्द्र प्रायोजित योजना घटकों में प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, जागरूकता सृजन और आउटरीच कार्यक्रमों सहित अनेक गतिविधियों के साथ क्रियान्वित किया गया है। मत्स्यपालन विभाग भारत सरकार राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (एनएफडीबी) के माध्यम से तथा राज्य मात्स्यिकी विभागों के समन्वय से जागरूकता पैदा करने तथा अभियान, जागरूकता कार्यक्रमों, कार्यशालाओं के माध्यम से मात्स्यिकी विकास योजनाओं को लोकप्रिय बनाने के लिए विभिन्न आउटरीच कार्यक्रम आयोजित कर रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सरकारी योजनाओं के तहत प्रदान की गई वित्तीय सहायता छोटे और सीमांत मत्स्य किसानों सहित लाभार्थियों तक प्रभावी रूप से पहुंचे। मछुआरों, छोटे और सीमांत मत्स्य किसानों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए, सागर परिक्रमा मत्स्य संपदा जागृति अभियान जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से डोर-टू-डोर अभियान भी आयोजित किए गए और विभिन्न प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया और मास मीडिया के माध्यम से प्रचार किया गया।

पीएमएमएसवाई की केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के तहत लाभार्थी-उन्मुख गतिविधियों को राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से कार्यान्वित किया गया है और संबंधित राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को सरकारी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर नकदी प्रबंधन(कैश मैनेजमेंट) में अधिक दक्षता लाने के लिए, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के तहत राज्य सरकारों को "जस्ट-इन-टाइम" आधार पर केंद्रीय निधियां जारी करने के लिए एक वैकल्पिक निधि प्रवाह प्रणाली को अधिसूचित किया है। इस नई प्रणाली को एसएनए-स्पर्श नाम दिया गया है और इस नई प्रणाली के तहत, धनराशि सीधे लाभार्थी के खाते में स्थानांतरित की जाती है।

(ख) से (घ) : मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार ने 2015 से देश में मात्स्यिकी क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएसएसवाई) और फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट फंड (एफआईडीएफ) सहित 38,572 करोड़ रुपए की योजनाओं के माध्यम से मात्स्यिकी क्षेत्र में विभिन्न सुधार किए हैं और निवेश में काफी वृद्धि की है। मात्स्यिकी क्षेत्र में भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए, पीएमएमएसवाई के अंतर्गत मात्स्यिकी वैल्यू चेन सहित विविध क्रियाकलापों/गतिविधियों को सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें क्वालिटी फिश प्रोडक्शन, खारे पानी के जलकृषि का विस्तार, डायवर्सिफिकेशन और इन्टेन्सिफिकैशन, निर्यात उन्मुख प्रजातियों को बढ़ावा देना, टेक्नोलॉजी का समावेश, सुदृढ रोग प्रबंधन और ट्रेसबिलिटी, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, निर्बाध कोल्ड चेन के साथ आधुनिक पोस्ट हार्वेस्ट इन्फ्रस्ट्रक्चर का निर्माण, आधुनिक फिशिंग हार्बर और फिश लैंडिंग सेन्टरों का विकास आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त वैश्विक स्तर पर भारतीय मात्स्यिकी क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए, सरकार नियमों में संशोधन करके, आयात को सुव्यवस्थित करके और प्रमुख एक्वा फ़ीड सामग्री, एक्वाकल्चर इनपुट और मत्स्य प्रसंस्करण सामग्री पर आयात शुल्क को कम करके कारोबार में सुगमता की सुविधा प्रदान कर रही है।

विगत पांच वर्षों के दौरान सुधारों, नीतियों और योजनाओं के माध्यम से सरकारों के ठोस प्रयासों और मछुआरों, मत्स्य किसानों और अन्य हितधारकों के प्रयासों ने मात्स्यिकी और जलकृषि के सर्वांगीण विकास में विशेष रूप से महत्वपूर्ण योगदान दिया है, (i) वार्षिक मत्स्य उत्पादन 2019-20 में 141.64 लाख टन से बढ़कर 2023-24 में 184.02 लाख टन हो गया है, (ii) मात्स्यिकी निर्यात 2019-20 में 46,662.85 करोड़ रुपए से बढ़कर 2023-24 में 60,524.89 करोड़ रुपए हो गया है, (iii) प्रति व्यक्ति मत्स्य की खपत 5-6 किलोग्राम से बढ़कर 12-13 किलोग्राम हो गया और (iv) जलकृषि उत्पादकता 3 टन/हेक्टेयर से बढ़कर 4.7 टन प्रति हेक्टेयर हो गई है। देश ने अब इनलैंड कैप्चर फिश प्रोडक्शन में प्रथम स्थान, कल्चर श्रिम्प एक्सपोर्ट में प्रथम, एक्वाकल्चर प्रोडक्शन में दूसरा, समग्र फिश प्रोडक्शन में दूसरा, समग्र कैप्चर फिश प्रोडक्शन में चौथा, मरीन कैप्चर फिश प्रोडक्शन में छठा तथा मात्स्यिकी उत्पादों के एक्सपोर्ट में छठा स्थान प्राप्त कर लिया है।

(ङ): छत्तीसगढ़ सरकार ने सूचित किया है कि वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान पीएमएमएसवाई के तहत कांकेर जिले के दुधावा जलाशय में कल्चर के माध्यम से कुल 266 व्यक्ति लाभान्वित हुए और छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के खरखरा, तांदुला और गोंदली जलाशयों में केज कल्चर के माध्यम से 530 व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं ।

****